FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम SDO बायतु

हरचंदराम बनाम भीखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राह प्रार्थना नं. 216/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/8/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	
25/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 26/10/2021 को पेश हो।	
26/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 21/12/2021 को पेश हो।	

हुक्म

21/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-09/02/2022 को पेश हो।

09/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 28 तथा 30 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त व विपक्षी संख्या-6 के नोटिस पर मौत होना लिखा गया तथा विपक्षी संख्या-29 का नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त। विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 28 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 3.45 pm पर लगाई गई, विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 28 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षी संख्या-1 से 5 व 7 से 28 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील विपक्षी संख्या-6 की फौतगी सूचना व विपक्षी संख्या-29 का नोटिस पुनः पेश करें। पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक-23/03/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

23/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-6 की फौतगी सूचना व उनके कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा विपक्षी संख्या-6 के समय सुधार व विपक्षी संख्या-29 के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया जो जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जाकर पत्रावली दिनांक-05/05/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
05/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या-6 के समय सुधार विपक्षी संख्या-6/1 से 6/3 व 29 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-23/05/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
23/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या-6/1 से 6/3 व 29 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विपक्षी संख्या-6/1 से 6/3 व 29 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षी संख्या-6/1 से 6/3 व 29 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील पूर्व में अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खातेदारी खेत सेला सेर आये हुए है। खेती [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के मध्य जो पुरानी मोरे व कोणे आये इनमें जो वर्तमान में काश्तियों की वजह से विलु(प्त) गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

न्यायाल...
क्रमांक वाद/2022/ 763
प्रार्थी
1. हरचन्दराम ...
जाति ...

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 703 दिनांक : 23/5/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हरचन्दराम पुत्र उदाराम, जाति मेघवाल, निवासी माधासर, पटवार मण्डल माधासर, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. भींखाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 30, जाति मेघवाल, निवासी माधासर, पटवार मण्डल माधासर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 216 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – माधासर, पटवार मण्डल – माधासर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 110, 342 / 110 रकबा क्रमशः 2.6535, 1.3591 हैक्टयर व मौजा पीरावास पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 181 रकबा 3.8023 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 704-708 दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरचन्दराम पुत्र उदाराम,
4. विप्रार्थी श्री भींखाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 30,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु